न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 01/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/29

अपीलाण्ट्स :–

1. पपली कंवर पत्नी कालूसिंह जाति रजपुत, निवासी डिंगाई तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. राधा कंवर पत्नी श्री जोरसिंह जाति रजपुत, निवासी – ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. रूपसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह जाति रजपुत, निवासी ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. दलपतसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति रजपुत, निवासी– ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
3. ढलसिंह पुत्र रूपसिंह जाति रजपुत, निवासी ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली, (राज)
4. उषा कंवर पत्नी दलपसिंह जाति रजपुत, निवासी – ग्राम बाला तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
5. ढलकी पत्नी ढलसिंह जाति रजपुत, निवासी– ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
6. पोनी कंवर पत्नी रूपसिंह जाति रजपुत, निवासी ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली, (राज)
7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली जिला पाली।

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–**23.12.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2749 दिनांक 16.03.2023 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बाला तहसील पाली के खसरा नम्बर 158, 269, 270, 275 व 369 रकबा क्रमशः 3.3670, 0.0728, 5.5280, 1.6268 व 0.3642 हैक्टर कुल रकबा 10.9588 हैक्टयर सामलाती हक अधिकार की खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स की आयी हुई है। उक्त जैर आराजी

Scanned with ACE Scanner

भूमि में अपीलाण्ट्स का हक हिस्सा निहित है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की संशोधन के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्रों व पुत्रियों का बराबर का हक अधिकार निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स का हक अपने पैतृक कृषि भूमि में अपने भाईयो, के बराबर हक अधिकार निहित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अन्य रेस्पोडेण्ट्स के साथ मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपनी पैतृक कृषि भूमि के हक अधिकार से वंचित करने की नियति से एक विधि विरूद्व तरीके से फर्जी वसीयत/गिफ्ट को रेस्पोडेण्ट्स संख्या 03 से 06 के पक्ष में निष्पादित करवाकर जरिये वसीयत/गिफ्ट के उक्त विधि विरूद्व नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट्स संख्या 03 से 04 के पक्ष में बाद बटवाडा भरवा दिया गया। उक्त जैर नामान्तरकरण संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 05 अनुसार प्रथम–दृष्ट्या ही विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि रेस्पो. संख्या 01 के नाम दर्ज थी। रेस्पो. संख्या 01 ने जरिये बख्शीशनामा दिनांक 22.08.2022 के द्वारा 1/4–1/4 वां हिस्सा रेस्पो. संख्या 02 से 05 के पक्ष में बख्शीश कर दिया है जिसके आधार पर रेस्पो संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है। रेस्पो. संख्या 01, अपील में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार था, जिसे अपने नाम की कृषि भूमि का बेचाण, बख्शीश व वसीयत इत्यादि करने का पूर्ण हक एवं अधिकार था। रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो जाने के बाद रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 ने आपसी सहमति से अपील में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा करवाया व बंटवाड़े के आधार से रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या के 05 के नाम जैर नामान्तरकण स्वीकृत किया गया जो विधि के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है जिसमें अपीलाण्ट्स का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं जैर अपील में अपीलाण्ट्स की कोई लोकस स्टेण्टडाई भी नहीं है। जिससे जैर अपील अविधिक आधारों पर प्रस्तुत की गई जो सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंड़ित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

जिला कलेक्टर, पाली

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रकरण में देखने रेकर्ड एवं श्रवणशुदा बहस के आधार पर अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि जैर कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स का हक हिस्सा निहित है व हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के संशोधन के अनुसार पैतृक सम्पति में पुत्रों एवं पुत्रियों का बराबर हक अधिकार निहित है। रेस्पो. संख्या 01 ने अन्य रेस्पोडेण्ट्स के साथ मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपनी पैतृक कृषि भूमि के हक अधिकार से वंचित करने की नियति से एक विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी वसीयत को रेस्पो. संख्या 03 से रेस्पो. संख्या 06 के पक्ष में निष्पादित करवाकर वसीयत के उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण रेस्पो. संख्या 03 व 04 के पक्ष में बाद बंटवारा स्वीकृत करवा दिया।

अधिवक्ता विपक्षी का प्रमुख उज्र यह है कि जैर नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि रेस्पो. संख्या 01 के नाम दर्ज थी। रेस्पो. संख्या 01 ने जरिये बख्शीशनामा दिनांक 22.08.2022 के द्वारा 1/4–1/4 वां हिस्सा रेस्पो. संख्या 02 से 05 के पक्ष में बख्शीश कर दिया है। जिसके आधार पर रस्पो संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है। रेस्पो. संख्या 01, अपील में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार था, जिसे अपने नाम की कृषि भूमि का बेचाण, बख्शीश व वसीयत इत्यादि करने का पूर्ण हक एवं अधिकार था। रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो जाने के बाद रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या 05 ने आपसी सहमति से अपील में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा करवाया व बंटवाड़े के आधार पर रेस्पो. संख्या 02 से रेस्पो. संख्या के 05 के नाम जैर नामान्तरकण स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलाण्ट्स का कोई हक हिस्सा नहीं है एवं जैर अपील में अपीलाण्ट्स की कोई लोकस स्टेण्टडाई भी नहीं है।

Scanned with ACE Scanner

समग्रतः समायतशुदा बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 01 को जैर आराजी अपनी माता से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम–श्रेणी उत्तराधिकारी होने के कारण प्राप्त हुई है। यह भूमि सहदायी/coparcenary भूमि हो ऐसा कोई साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्टतया प्रथम श्रेणी के वारिसान् उपलब्ध होने पर भूमि द्वितीय श्रेणी या द्वितीय अनुसूची के वारिसान् को जब तक नहीं जा सकती जब तक भूमि सहदायी/coparcenary की होना प्रमाणित नहीं हो। इस प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01 द्वारा सक्षमता के आधार पर अपनी भूमि का हस्तानान्तरण किया है जिसमें उसकी पुत्रियों को किसी प्रकार का उनके जीवनकाल में हक अधिकार होना प्रकट नहीं होता है, जिससे हम तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2749 दिनांक 16.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। लिहाजा अपील–अपीलाण्ट सारहीन आधारों पर प्रस्तुत होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner